रेशम प्रभाग की उपलब्धि

छ0ग0राज्य गठन से वर्ष 2016–17 तक की उपलब्धियाँ
तथा
आगामी योजना 2017–18 से 2020–21 तक

D/MainFolder/RPBS/Director Seri-2017-18 to 2020-21/Seri.Adv.

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामोद्योग संचालनालय रेशम प्रभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी

रेशम, कोसा उत्पादन एक रोजगार प्रधान कृषि एवं वन आधारित ग्रामीण, स्थानीय रोजगार मूलक कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ में कोसा कीटपालन, धागाकरण एवं वस्त्र निर्माण का कार्य पूर्व से ही परंपरागत रूप में चला आ रहा है। रेशम उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय हितग्राही जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विशेष तौर पर महिलाअें को रोजगार उपलब्ध कराने में मुख्य योगदान प्रदान करता है।

ग्रामोद्योग विभाग (रेशम प्रभाग) द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ कोसा/रेशम धागों की राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मांग आपूर्ति हेतु टसर/मलबरी रॉ सिल्क के उत्पादन बढ़ाने के लिए अधोसंरचना निर्माण करना, उत्पादकता में वृद्धि हेतु नई तकनीक को मैदानी स्तर पर लागू करवाना हैः–

उद्देश्यः–

→ रेशम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जनोन्मुखी तथा जनभागीदारी एवं व्यवसायिक रूप देना।

→ प्रदेश के रेशम प्रभाग से जुड़े कृमिपालक हितग्राहियों को ककून का उचित मूल्य दिलाना।

→ प्रदेश के बुनकरों को उचित दर पर कोसाफल/रॉ सिल्क उपलब्ध कराना।

→ प्रदेश में परंपरागत रूप से तैयार होने वाले कोसा वस्त्रों को उपभोक्ता तक गुणवत्ता एवं उपयुक्तता युक्त वस्त्रों को सिल्क मार्क के माध्यम से उपलब्ध कराना।

→ रेशम प्रभाग हेतु वर्तमान में राज्य आयोजना, आयोजनेत्तर तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु आगामी बजट प्रावधान राशि प्राप्त होने पर ही आगामी कार्य योजना का समुचित उपयोग कर लक्ष्य/उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर टसर रॉ सिल्क की मांग लगभग 5000 मी.टन अनुमानित है। इसकी तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर छ0ग0राज्य का सांख्यिकीय आधारित टसर रॉ सिल्क उत्पादन लगभग मात्र 500 मी.टन होना अनुमानित है। वन्य टसर रॉ सिल्क की राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर ड्रेस फर्नीशिंग मटेरियल एवं साड़ियों की मांग भारतीय सिल्क में उच्च गुणवत्ता एवं उपयोगिता को देखते हुए सतत् बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर टसर वस्त्र निर्माण एवं निर्यात में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है।

प्रदेश में उत्पादित टसर वस्त्र उत्पादन को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर विक्रय तथा निर्यात भी किया जा रहा है। टसर रॉ सिल्क के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु रेशम प्रभाग द्वारा 183 स्व सहायता समूहों को 2567 मोटराईज्ड रीलिंग एवं स्पिनिंग मशीन उपलब्ध करायी गई है

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रमः– (योजना कमांक 5146)

टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित टसर बीज केन्द्रों/पायलट प्रोजेक्ट एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्थापित केन्द्रों को बीज उत्पादन, पालित ककून उत्पादन एवं केन्द्र संधारण, नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं ककून उत्पादन तथा धागाकरण से संबंधित कार्य किये जाते हैं।

पालित प्रजाति टसर स्वस्थ समूह प्रदाय एवं टसर रेशम विकास एवं विस्तार अंतर्गत 380 केन्द्र संचालित है। राज्य गठन के समय में लगभग 12269 हेक्टेयर (विभागीय टसर+परियोजना+प्राकृतिक वन खण्ड) पौधरोपण क्षेत्र उपलब्ध था जो, कि वर्ष 2017–18 में 20590 हेक्टेयर टसर खाद्य पौधरोपण 13395 हेक्टेयर क्षेत्र टसर ककून कृमिपालन एवं उत्पादन हेतु चिन्हांकित है। छत्तीसगढ़ वनांच्छादित राज्य है यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से टसर कीट प्रजातियाँ एवं इसके खाद्य पौधे जैसे–साल, साजा, धावड़ा, बेर, सेन्हा, इत्यादि है। उक्त वृक्षों पर टसर कोसा की रैली लरिया एवं बरफ नैसर्गिक कोसाफल की प्रजाति पाई जाती है। नैसर्गिक टसर कोसाफल विकास कार्यो के लिए प्रदेश के वन खण्डों में वर्तमान में 34737 हेक्टेयर साल एवं अन्य टसर खाद्य बाहुल्य वन खण्ड उपलब्ध है। जिसमें से लगभग 20000 हेक्टेयर क्षेत्र का नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैमप (वन खण्डों) का दोहन हो रहा है। शेष अनटच वन खण्डों पर आगामी पंचवर्षीय योजना में उक्त योजना को विस्तारित करना प्रस्तावित है।

विभाग द्वारा हितग्राहियों को निम्न सुविधा प्रदान की जाती है:-

1. पालित टसर कृमिपालक स्वस्थ समूह योजना अंतर्गत हितग्राहियों को स्वस्थ समूह टसर व्यापारिक प्रति स्वस्थ डिम्ब समूह रू. 10.00 एवं टसर बेसिक/न्यूक्लियस स्वस्थ डिम्ब समूह की राशि रू. 12.00 केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हैं हितग्राहियों से ली जाने वाली राशि रू. 2.00 निर्धारित की गई है। हितग्राहियों द्वारा भुगतान की जाने वाली शेष राशि विभाग द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
2. निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन।
3. निर्धारित समर्थन मूल्य पर समिति के माध्यम से गुणवत्ता आधारित मूल्य पर कोसा क्रय कर किसानों को विपणन की चिंता से मुक्त रखना।
4. कृषकों द्वारा उत्पादित ककून शासन द्वारा निर्धारित दर पर ककून बैंक समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय कर लिया जाता है। टसर ककून क्रय की दरें गुणवत्ता आधारित है।

छ.ग.राज्य गठन के समय से टसर पालित, नैसर्गिक ककून का उत्पादन 5.55 करोड़ नग था जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर 28.27 करोड़ नग हो गया है। समस्त योजनाओं से 32000 श्रमिक/हितग्राही लाभांवित हुये थे। जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 83439 श्रमिक/हितग्राही लाभांवित हुए है।

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना क्रमांक 5146 अन्तर्गत बजट एवं व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ क्रमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2000-01	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम/ योजना क्रमांक 5146	61.00	59.86
2	2001-02		157.08	153.77
3	2002-03		373.67	247.22
4	2003-04		405.00	343.58
5	2004-05		405.00	402.71
6	2005-06		425.00	421.34
7	2006-07		520.50	519.43
8	2007-08		525.00	524.88
9	2008-09		665.00	664.80
10	2009-10		723.00	710.82
11	2010-11		1131.86	899.56
12	2011-12		1138.20	1015.90
13	2012-13		1297.80	1291.45
14	2013-14		1351.60	1278.71
15	2014-15		1332.60	1322.62
16	2015-16		1706.85	1690.80
17	2016-17		1794.95	1692.47
18	2017-18		2109.50	2017.57

पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	विवरण	इकाई	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
1	पालित टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	59.12	172.44	238.00	218.603	310.961	364.525	431.305	510.98
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या	संख्या में	5158	7125	9423	9414	11493	14865	17133	18991

क0	विवरण	इकाई	08-09	09-10	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
1	पालित टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	434.99	460.61	440.67	587.012	581.44	583.03	634.785	769.37
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या	संख्या में	20067	19511	20596	16962	20872	17642	22525	33684

क0	विवरण	इकाई	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1	पालित टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	874.00	851-549	1330.00	1435.00	2472.00
2	लाभांवित हितग्राही एवं श्रमिकों की संख्या	संख्या में	32531	34117	38000	40000	44000

<u>टसर पालित प्रजाति के कृमिपालको को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजनाः–</u> पालित टसर कृमिपालक स्वस्थ समूह योजना अंतर्गत हितग्राहियों को स्वस्थ समूह टसर व्यापारिक प्रति स्वस्थ डिम्ब समूह रू. 10.00 एवं टसर बेसिक/न्यूक्लियस स्वस्थ डिम्ब समूह की राशि रू. 12.00 केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हैं हितग्राहियों से ली जाने वाली राशि रू. 2.00 निर्धारित की गई है। हितग्राहियों द्वारा भुगतान की जाने वाली शेष राशि विभाग द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।

कं.	वर्ष	योजना का नाम/ कमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
6	2005–06	पालित प्रजाति के टसर स्वस्थ डिम्ब समूह सहायता योजना	40.00	36.38
7	2006–07		44.00	43.86
8	2007–08		68.70	68.62
9	2008–09		70.00	69.89
10	2009–10		80.00	75.35
11	2010–11		100.00	77.75
12	2011–12		138.00	120.65
13	2012–13		120.00	116.49
14	2013–14		155.00	121.54
15	2014–15		155.00	145.14
16	2015–16		155.00	144.51
17	2016–17		593.00	541.25
18	2017–18		658.71	645.37

क0	विवरण	इकाई	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टसर स्वस्थ समूह का प्रदाय	स्व.डि. समूह लाख में	6.10	9.14	11.84	12.75	15.117	12.106

क0	विवरण	इकाई	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टसर स्वस्थ समूह का प्रदाय	स्व.डि. समूह लाख में	22.275	24.215	20.267	18.605	18.762	22.32

क0	विवरण	इकाई	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	टसर स्वस्थ समूह का प्रदाय	स्व.डि. समूह लाख में	22.04	22.25	20.87	28.12	28.29	27.868

क0	विवरण	इकाई	2018–19	2019–20	2020–21
1	2	3	4	5	6
1	टसर स्वस्थ समूह का प्रदाय	स्व.डि. समूह लाख में	31.00	32.00	36.00

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यक्रम (योजना क्रमांक 164)

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोण्डागॉव के वनखण्ड साल बाहुल्य वृक्षों से अच्छादित है। उन साल बाहुल्य वन खण्डों में प्राकृतिक, नैसर्गिक रूप में पाये जाने वाली कोसा की प्रजाति "रैली" उत्पादित होती है। यह कोसा की ईको रेस या क्षेत्रीय प्रजाति अपने में अधिक कोसा धागे एवं गुणवत्ता के आधार पर कोसा की अन्य प्रजातियों से अधिक प्रख्यात एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष में एक मात्र सुपरिचित प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान है। इस प्रजाति का संग्रहण स्थानीय वनवासियों द्वारा किया जाकर इसके स्थानीय हॉट बाजारों में विक्रय कर अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है।

उपरोक्त जिलों में मूलतः अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार निवास करते है जोकि समाज की मुख्य धारा से अभी भी पूर्णतः जुड़े नही है। ाासन द्वारा इन वर्गो के विकास हेतु अन्य योजनाएँ संचालित है, इस क्रम में जिले में नैसर्गिक कोसा उत्पादन के संग्रहण के माध्यम से आर्थिक लाभ दिलाने हेतु जिलों में प्राकृतिक साल वन खण्डों में नैसर्गिक कोसा बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कैम्प योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे एक तरफ इस प्राकृतिक प्रजाति का संरक्षण, प्रगुणन हो रहा है तथा दूसरी ओर इसके उत्पादन में वृद्धि होने से संग्राहकों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है।

इस योजना अंतर्गत साल वन क्षेत्रों में जीवित रैली कोसा के कैम्प आयोजित हो रहे है जिससे नर–मादा तितलियों एवं कोसा के अण्डों का विसर्जन किया जा है, जहां नर–मादा तितलियों के युग्मन पश्चात कोसा के अण्डों से कोसा कृमियों से प्राकृतिक रैली कोसा उत्पादन होता है जिसका संग्रहण स्थानीय हितग्राहियों द्वारा किया जाकर हॉट बाजारों में विक्रय किया जा रहा है।

प्रदेश में इसी प्रकार की कोसे की नैसर्गिक प्रजाति लरिया एव बरफ कोसा है जो कि मुख्यतः रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर, कोरिया जिले के वन क्षेत्रों में उपलब्ध साजा, कहुआ, धौवड़ा, सेन्हा, बेर, साल इत्यादि वन वृक्षों पर नैसर्गिक रूप से पाई जाती है। जिसका संग्रहण स्थानीय हितग्राहियों द्वारा किया जाकर हॉट बाजारों में विक्रय कर अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। इन नैसर्गिक प्रजातियों एवं पालित डाबा प्रजाति के व्यापक उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा रैली बीज प्रगुणन कैम्प एवं "डाबा" सीड रीलिज कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में नैसर्गिक बीज प्रगुणन केम्पों के आयोजना से नैसर्गिक कोसा की वंशवृद्धि सतत हुई है। कोसा संग्रहण से लगभग 50 हजार से अधिक ग्रामीण वनवासी हितग्राहियों द्वारा वर्ष 2017–18 में लगभग 20 करोड़ नग नैसर्गिक रैली, लरिया, डाबा, बरफ कोसा का अधिकतम संग्रहण किये जाने की संभावना है। हितग्राहियों को नैसर्गिक कोसा संग्रहण के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। प्रदेश में साल बाहुल्य एवं प्राकृतिक वनखण्डों में साजा, अर्जुना, सेन्हा, धावड़ा के टसर खाद्य वृक्षों पर नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन को बढ़ाने हेतु वर्ष 2003–04 में मात्र 06 रैली कोसा प्रगुणन कैम्प लगाये गये थे, वर्ष 2016–17 में 211 विभागीय रैली/डाबा प्रगुणन बीज कैम्पों एवं 55 केम्पा योजना मद से इस प्रकार कुल 266 कैम्पों का आयोजन किया गया, वर्ष 2017–18 में विभागीय मद से 301 रैली बीज एवं डाबा सीड रीलिज कार्यक्रम प्रगुणन कैम्प का तथा केम्पा योजना मद से 258 इस प्रकार कुल 559 कैम्पों का आयोजन किया गया है।

विभाग द्वारा नैसर्गिक कोसा प्रगुणन एवं उत्पादन हेतु प्रदत्त सुविधाऍ निम्न है:–

- साल बाहुल्य वन खण्डों में ब्रीडिंग मटेरियल (कृमि के अण्डे एवं तितलियॉ) छोड़े जा रहे हैं।

इससे जुड़े हितग्राहियों को अधिक लाभ दिलाने के लिये खुले बाजार विपणन की व्यवस्था कराई गई है जिससे उन्हें उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो।

नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं सघन विकास कार्यक्रम–केम्प की पृष्ठभूमि एवं उपयोगिताः–

प्राकृतिक वन खण्डों से ग्रामीण वनवासी हितग्राहियों द्वारा नैसर्गिक कोसाफल के लगातार दोहन से वनों में बीज हेतु कोसाफलों की संख्या न्यून हो जाने के कारण नैसर्गिक प्रगुणन की प्रकिया धीमी होने से नैसर्गिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव होने लगाता है तथा उत्पादन कम होते जाता है। इस चिंतनीय स्थिति से निपटने हेतु ग्रामोद्योग संचालनालय द्वारा प्राकृतिक वन खण्डों में नैसर्गिक बीज प्रगुणन कार्यक्रम (इंटेसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम) के माध्यम से बीज कोसाफल की मालाऍ सघन वन क्षेत्रों के मध्य लगाई जाकर उनसे प्राप्त नर–मादा तितलियॉ एवं निषेचित अण्डे प्राकृतिक वन खण्डों में छोड़ा जाता है। मादा तितलियों के द्वारा उत्सर्जित अण्डो में हेंचिग उपरांत साल, साजा, सेन्हा, धौरा, बेर की पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण कर अपना जीवन चक 45 दिवस में पूर्ण कर कोसाफल बनाते है। नर–मादा तितलियॉ एवं युग्मित अण्डे छोडे जाने से उत्पादन में आशाजनक परिणाम प्राप्त हुए है। वार्षिक उत्पादन 496 लाख से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 19.75 करोड़ नग तक हुआ है।

नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यकम (योजना कमांक 164) अन्तर्गत बजट एवं व्यय

क्र.	वर्ष	योजना का नाम / कमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2000–01	नैसर्गिक टसर बीज प्रगुणन एवं संग्रहण कार्यकम योजना कमांक 164	0	0
2	2001–02		0	0
3	2002–03		0	0
4	2003–04		0	0
5	2004–05		46.25	46.11
6	2005–06		52.50	37.68
7	2006–07		57.75	57.68
8	2007–08		62.50	62.01
9	2008–09		103.00	97.96
10	2009–10		156.80	156.54
11	2010–11		439.13	284.04
12	2011–12		376.00	369.75
13	2012–13		495.30	462.99
14	2013–14		534.75	521.56
15	2014–15		534.75	152.38
16	2015–16		530.75	301.28
17	2016–17		632.45	568.21
18	2017–18		754.60	701.50

क	विवरण	इकाई	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	496	570	382.71	828.79	758.16	378.87	506.05
2	नैसर्गिक प्रगुणन कैम्प	संख्या में	0	0	0	06	18	17	20
3	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	26757	17235	20142	35741	57268	36759	41577

क	विवरण	इकाई	07-08	08-09	09-10	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	586.74	754.51	809.16	870.08	1636.27	1999.77	2048.41	657.86
2	नैसर्गिक प्रगुणन कैम्प	संख्या में	87	41	31	19	83	138	164	75
3	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	42043	43761	44276	38802	52366	62869	83866	21469

क	विवरण	इकाई	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1	नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन	लाख नग में	693.82	1110.16	1975-802	2200.00	2400.00	2600.00
2	नैसर्गिक प्रगुणन कैम्प	संख्या में	168	266	559	600	700	800
3	लाभांवित हितग्राही	संख्या में	29042	44017	46386	55000	58000	60000

टसर धागाकरण योजना

- प्रदेश में गुणवत्तायुक्त टसर धागे की मांग की पूर्ति हेतु मोटराईज्ड रीलिंग मशीन के माध्यम से धागाकरण का कार्य संचालित ।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2567 टसर मोटराइज्ड रीलिंग मशीन एवं स्पिनिंग मशीनें हितग्राहियों को वितरित किया गया है एवं धागाकरण के 183 स्व.सहायता समूह कार्यरत है।
- धागाकरण हितग्राही को धागाकरण के लिये विभाग द्वारा एक माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा ।
- धागाकारक हितग्राहियों को धागाकरण से कार्य दिवस में रू0 100 से 150 की अतिरिक्त आय।

छ.ग.राज्य गठन से वर्ष 2016–17 तक की टसर धागाकरण का सांख्यिकी आधारित (कर्न्वसन बेस) उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	विवरण	इकाई	2000–01	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07
1	टसर रॉ एवं स्पन धागा उत्पादन सांख्यकीय आधारित	मी0टन में	65.94	82.79	63.62	65.65	127.25	101.30	104.54

क्र0	विवरण	इकाई	07–08	08–09	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15
1	टसर रॉ एवं स्पन धागा उत्पादन सांख्यकीय आधाररित	मी0टन में	126.30	146.33	160.53	16792	298.61	387.18	394.72	225.389

क्र0	विवरण	इकाई	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21
1	टसर रॉ एवं स्पन धागा उत्पादन सांख्यकीय आधारित	मी0टन में	254.17	353.13	522.892	425.00	450.00	500.00

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यकम (योजना कमांक 3777/3394/5106)

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यकमः–

वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) द्वारा संचालित मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना अंतर्गत 804 एकड़ क्षेत्र पौधरोपण युक्त उपलब्ध है। राज्य में कुल 74 मलबरी रेशम/बीज केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्र संचालित है।

विभाग द्वारा मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार हेतु प्रदत्त सुविधाएँ

1. विभाग द्वारा हितग्राहीयों को निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन एवं योजनांतर्गत उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून (बाय बोल्टाइन) **रू. 168/–**एवं पीला मलबरी ककून (मल्टी बोल्टाईन) **रू. 144/–** प्रति किलोग्राम है। विभागीय रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यम से परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।
2. वर्तमान में 11 ककून बैंक एवं 04 यार्न बैंक संचालित है तथा उत्पादित मलबरी/टसर/ईरी ककून शासन द्वारा निर्धारित दर पर रेशम गतिविधि के अधीन ककून बैंक द्वारा कय किया जा रहा है।
3. हितग्राहियों को उन्नत प्रजाति का मलबरी कटिंग्स प्रदाय किया जा रहा है।
4. हितग्राहियों को उन्नत प्रजाति का मलबरी स्वस्थ समूह उपलब्ध कराया जा रहा है।
5. हितग्राहियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना कमांक 3777 अन्तर्गत बजट एवं व्यय

क्रं.	वर्ष	योजना का नाम/ कमांक	आवंटित बजट	आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय
1	2000–01	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम योजना कमांक 3777/3394/5106	30.90	21.98
2	2001–02		119.86	100.72
3	2002–03		115.00	87.66
4	2003–04		155.00	131.87
5	2004–05		159.50	155.95
6	2005–06		182.00	175.42
7	2006–07		205.50	205.02
8	2007–08		206.50	206.31
9	2008–09		206.50	206.42
10	2009–10		224.25	217.51
11	2010–11		327.30	228.61
12	2011–12		252.75	236.80
13	2012–13		271.00	270.29
14	2013–14		307.50	306.68
15	2014–15		320.00	316.82
16	2015–16		353.65	350.21
17	2016–17		420.15	403.29
18	2017–18		474.50	446.24

छ0ग0 राज्य गठन से वर्ष 2016–17 तक मलबरी ककून उत्पादन के उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क0	विवरण	ईकाई	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	17354	16840	14547	14005	20387	27414
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	899	732	1084	1277	1487	1699

क	विवरण	ईकाई	06-07	07-08	08-09	09-10	10 -11	11-12	12-13	13-14	14-15
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	34339	41632	36224	35125	44280	52340	54487	64911	66278
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	1595	2487	1754	2179	1909	1639	2436	2596	3457

क	विवरण	ईकाई	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	68918	60501	68639	78900	87800	105000
2	लाभान्वित हितग्राही एवं श्रमिक	संख्या में	3242	2675	2936	3800	4000	4200

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत उत्प्रेरण विकास कार्यकम (योजना कमांक 5521)

प्रदेश में केन्द्र शासन की केन्द्री य रेशम बोर्ड द्वारा केन्द्र प्रवर्तित उत्प्रेरण विकास का र्यकम दसवीं पंचवर्षी य योजना से प्रारंभ हुई है। जिसका उद्देश्य मलबरी/टसर सुदृढ़ीकरण का हितग्राहि यों को तकनीकी ज्ञान एवं कोसा उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि कर स्व रोजगारोत्पत्ती करना है। उत्प्रेरण विकास का र्य कम योजना में प्रावधानित राशि निजी अण्डा उत्पादकों को सहा यता कर टसर स्वस्थ डिम्ब समूह उत्पादन में आत्मनिर्भर करना, मलबरी एवं टसर पौधरोपण के साथ–साथ उर्वरक खाद इत् यादि के लिए राशि हितग्राहि यों को उपलब्ध कराना। पीपीसी एवं धागाकरण इकाई यों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता सुधार कर इससे जुड़े हितग्राहि यों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना है।

योजनाऍं:–

(1) पालित टसर कोसा क्षेत्र में:–

(अ) निजी टसर बीज उत्पादक:–

प्रदेश में टसर उत्पादन की वृद्धि व इसके व्यवसायिकरण एवं निजीकरण हेतु निजी क्षेत्र के कृषको द्वारा निजी टसर बीज उत्पादक योजना अपनाई जा रही है। इस योजना अंतर्गत कृषकों द्वारा स्वयं टसर स्वस्थ समूह का उत्पादन कर प्रदेश के व्यवसायिक टसर कृषकों को टसर स्वस्थ समूह विकय कर अतिरिक्त आय अर्जन की जा रही है। योजना अंतर्गत कृषकों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता एवं सहयोग दिया जा रहा है:–

1. निजी ग्रेनेज भवन निर्माण हेतु राशि रू0 143000/– की सहायता।
2. कोसा बीज फल कय हेतु राशि रू0 30000/– की सहायता।
3. टसर स्वस्थ समूह उत्पादन में लगने वाले वैज्ञानिक उपकरण कय हेतु राशि रू0 59000/– की सहायता।

(ब) टसर बीज उत्पादकः–

1. टसर पौधरोपण संधारण हेतु राशि रू0 17000/–
2. टसर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु टसर बीज उत्पादक योजना अंतर्गत कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त टसर बीज कोसाफल उत्पादन हेतु राशि रू0 20000/– की सहायता प्रदान की जाती है।

(स) कोसा खाद्य पौधों का संधारणः–

कोसा खाद्य पौधों के पौधरोपण एवं संधारण हेतु राशि रू0 40000/– की सहायता।

द) कोसा संग्रहण गृहः–

1. कृषकों द्वारा कोसापालन एवं कोसा उत्पादन उपरांत कोसा संग्रहण हेतु विभाग द्वारा कोसा संग्रहण गृह निर्माण हेतु राशि रू0 100000/– की सहायता प्रदान की जा रही है।
2. टसर केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण राशि रू0 500000/– (भवन–रू0 200000, उपकरण रू0 137000, अन्य राशि 163000)
3. अरण्डी कृमिपालन हेतु सहायता राशि रू0 12500 (भूमि समतलीकरण रू0 1428, उपकरण इत्यादि रू0 9662)

(2) मलबरी रेशम विकास योजनाः–

मलबरी (शहतूत) रेशम विकास एवं विस्तार योजना के निजीकरण अंतर्गत प्रदेश के इच्छुक एवं पात्र कृषको को उनकी निजी भूमि पर पौधरोपण एवं रेशम कृमिपालन हेतु योजना अंतर्गत निम्नानुसार योजनाएॅ/सुविधाएॅ/सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैः–

(1) मलबरी पौधरोपण हेतु राशि रू0 14000/– की सहायता।

(2) मलबरी कृमिपालन हेतु कृमिपालन गृह निर्माण हेतु राशि रू0 1.75 से 2.75 लाख की सहायता।

(3) मलबरी कृमिपालन में निःसंक्रमण सामग्री हेतु राशि रू0 4000 से 5000 की सहायता।

(4) मलबरी उद्यान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि रू0 30000 की सहायता प्रति हेक्टेयर।

(5) मलबरी कृमिपालन बायवोल्टाईन हेतु कृमिपालन उपकरण कय हेतु सहायता राशि रू0 40000 से 70000 प्रति एकड़/प्रति कृषक।

(6) मलबरी पौधरोपण का संधारण रू0 4500 प्रति एकड़।

(7) मलबरी चाकी उद्यान का संधारण रू0 4.00 लाख से 6.00 लाख की सहायता।

(3) कोसा/रेशम धागाकरणः–

प्रदेश में उत्पादित कोसा/रेशम फलों को प्रदेश के ही हितग्राहियों के माध्यम से कोसा धागे एवं कोसा वस्त्र में परिवर्तित करने हेतु योजना अंतर्गत कोसा धागाकरण मशीने उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिये निम्नानुसार सहायता का प्रावधान हैः–

(अ) कोसा धागाकरण हेतु कोसा मोटराइज्ड रीलिंग कम टिवस्टिंग मशीन कय हेतु राशि रू0 45000 प्रति मशीन प्रति हितग्राही की सहायता।

(ब) कोसा स्पन धागा निर्माण हेतु कोसा स्पिनिंग मशीन कय हेतु राशि रू0 7000 की सहायता।

(स) धागाकरण के प्रशिक्षण हेतु मास्टर रीलर एवं स्पिनर का प्रावधान।

दसवीं पंचवर्षीय योजना की प्रगति

वित्तीय प्रगति–

दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रवर्तित **उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम** के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मिलित किया गया है। रेशम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

वित्तीय प्रगति

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	कुल
2003–04	106.736	57.598	5.107	169.441
2004–05	157.090	96.735	8.821	262.646
2005–06	127.421	74.696	6.739	208.856
2006–07	61.055	45.115	4.141	110.310

भौतिक उपलब्धि

(संख्या में)

वर्ष	कुल
2003–04	1598
2004–05	2577
2005–06	2432
2006–07	1228

विगत वर्षो में सी0डी0पी0 अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध कराई गई सुविधाएँ/अधोसंरचना का विकास इत्यादिः–

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	कुल	लाभांवित हितग्राही संख्या
2007–08	342.690	80.042	4.068	426.80	1730
2008–09	362.030	78.235	3.710	443.975	1645
2009–10	235.58	57.019	3.001	295.60	1354
2010–11	170.827	36.809	1.933	209.569	1701
2011–12	260.154	57.455	2.721	320.330	924
2012–13	285.422	69.495	3.552	358.488	1205
2013–14	106.970	23.700	1.168	131.838	360
2014–15	213.250	49.981	2.579	265.81	878

मलबरी व टसर हितग्राहियों का अध्ययन भ्रमण रू0 2000/–
प्रशिक्षण कार्यक्रम रू0 3000/–

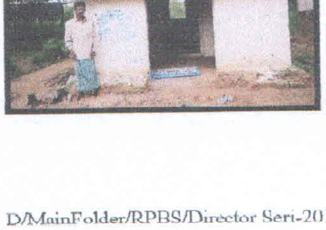

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा स्किल डेव्लपमेंट कौशल एवं विकास उन्नयन कार्यक्रम

रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, मलबरी, ईरी एवं धागाकरा के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल तथा उच्च गुणवत्तायुक्त टसर,मलबरी,ईरी स्वस्थ समूह का उत्पादन एवं टसर,मलबरी एवं ईरी के नवीन प्रजाति के पौधरोपण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

स्किल डेव्लपमेंट कौशल एवं विकास उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत रेशम प्रभाग द्वारा CSSDM अंतर्गत रेशम योजनाओं हेतु प्रदाय MES CORSSES जो कि मलबरी रेशम के परिपेक्ष्य में बनाये गये है चूकि छ.ग.राज्य में टसर रेशम योजनाओं में अधिक कार्य हो रहे है। अतः तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग महानदी भवन, मंत्रालय रायपुर को पत्र क्र0 3603 दिनांक 30.09.2013 के द्वारा दर्शित CORSSES को MES CORSSES के रूप में जोड़ने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

1 TASAR SEED PRODUCER
2 TASAR PEST AND DISEASE CONTROL ASSISTANT
3 TASAR SILK WORM REARERS
4 TASAR SILK REELING
5 TASAR SILK SPINNING
6 TASAR HAND SPUN YARN (MATKA, GHICHA PRODUCER)

अनुसंधान के माध्यम से नवीन विधाओं की खोज हेतु ट्रायल्स आदि अनुसंधान गतिविधियॉ संपादित की जाती है। अनुसंधान के विषय विभिन्न अरण्डी कृमिपालन प्रजाति का अध्ययन CGH-4 CGH-5 DCH-177 कालफी एवं अरूना, Study on effect different castor eri silkworm, Reeling on different primary & secondary food plants in different location, Study of eri culture as intercrop in tasar plantation, To study the erretic emergence in the nature grown cocoon, Studies on the insect pest tasar host plant T.Arjuna & tomentosa with Special Emphasis on Stem borer problem in eastern Chhattisgarh.

प्रशिक्षण अनुसंधान योजना में विगत वर्षो की उपलब्धि
(भौतिक एवं वित्तीय)

क्र0	विवरण	इकाई	2009—10	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14	2014—15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रशिक्षण हितग्राही / कर्मचारी	संख्या में	500	845	1090	1240	1529	1418
2	वित्तीय व्यय	लाख रू. में	26.99	27.00	29.99	29.98	31.98	32.58

प्रशिक्षण अनुसंधान योजना की आगामी दो वर्षो की कार्ययोजना
(भौतिक एवं वित्तीय)

क्र0	विवरण	इकाई	2015—16	2016—17	2017—18
1	2	3	5	6	7
1	प्रशिक्षण हितग्राही / कर्मचारी	संख्या में	1010	1108	1160
2	वित्तीय व्यय / प्रावधान	लाख रू. में	[illegible]	[illegible]	40.00

बुनियादी सुविधा का विस्तार रेशम एवं टसर केन्द्रों के लद्यु निर्माण कार्य :–

रेशम प्रभाग में पूर्व से स्थापित रेशम एवं टसर केन्द्रों में बुनियादी सुविधा एवं लद्यु निर्माण का कार्य निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं वन विभाग तथा विभागीय रूप से केवल सुदृढ़ीकरण के कार्य निर्माण एजेंसी के तकनीकी मानक के अनुरूप किया जाता है। बुनियादी सुविधा एवं लद्यु निर्माण कार्य कार्य के अंतर्गत कृमिपालन गृह, ग्रेनेज भवन, ककून गोडाउन, चॉकी कृमिपालन भवन का उन्नयन एवं नवीन निर्माण के साथ–साथ फेंसिग और सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाता है। रेशम प्रभाग के अंतर्गत 329 टसर रेशम विकास एवं 74 मलबरी रेशम विकास, 03 मलबरी ग्रेनेजों में अधोसंरचना विकास एवं बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण का कार्य उक्त योजना के अंतर्गत लिया जाता है।

बुनियादी सुविधा का विस्तार रेशम एवं टसर केन्द्रों के लद्यु निर्माण कार्य योजना की विगत वर्षो की उपलब्धि

(भौतिक एवं वित्तीय)

क0	विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लद्यु एवं अन्य निर्माण कार्य	संख्या में	123	136	156	155	182	178
3	वित्तीय व्यय	लाख रू. में	53.37	59.42	28.03	58.53	59.65	57.89

बुनियादी सुविधा का विस्तार रेशम एवं टसर केन्द्रों के लद्यु निर्माण कार्ययोजना की आगामी दो वर्षो की कार्ययोजना :–

(भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)

क0	विवरण	इकाई	2015–16	2016–17	2017–18
1	2	3	5	6	7
1	लद्यु एवं अन्य निर्माण कार्य	संख्या में	182	295	230
3	वित्तीय व्यय/प्रावधान	लाख रू. में	44.11	188.00	74.00

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से छ.ग.राज्य गठन से वर्ष 2016–17 तक की उपलब्धि हितग्राही/श्रमिक संख्या :–

क0	विवरण	इकाई	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लाभांवित हितग्राही/श्रमिक	संख्या में	32224	28968	37795	55215	80773	60819

क्र0	विवरण	इकाई	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	लाभांवित हितग्राही/श्रमिक	संख्या में	63991	69293	67988	88745	65602	73530

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से आगामी वर्षो की कार्ययोजना हितग्राही/श्रमिक संख्या :–

क्र0	विवरण	इकाई	2012–13	2013–04	2014–15	15–16	16–17	17–18	18–19
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22
1	लाभांवित हितग्राही/श्रमिक	संख्या में	88522	105247	47461	67171	80335	83439	92500

क्र0	विवरण	इकाई	2019–20	2020–21
1	2	3	23	24
1	लाभांवित हितग्राही/श्रमिक	संख्या में	94000	96500

विगत छः वर्षो में रेशम प्रभाग द्वारा समस्त संचालित योजनाओं आयोजना एवं आयोजनेत्तर मद में व्यय की उपलब्धि :–

क्र0	विवरण	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आयोजना मद में व्यय	राशि करोड़ में	6.36	7.59	8.01	10.52	11.29	10.48
2	आयोजनेत्त मद में व्यय		27.25	29.79	33.17	37.01	40.45	44.90
		योग:–	**33.61**	**37.38**	**41.18**	**47.53**	**51.74**	**55.38**

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में आवंटन एवं व्यय की जानकारी :–

क्र0	विवरण	इकाई	2016–17		2017–18	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	5	6	7	8
1	आवंटन एवं व्यय	राशि करोड़ में	81.48	68.95	95.93	78.40

रेशम प्रभाग अंतर्गत वर्तमान विपणन प्रणाली

रेशम प्रभाग अंतर्गत छ.ग.खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में समाहित रेशम गतिविधि कार्यशील है। वर्तमान में कार्यरत रेशम गतिविधि में 12 ककून बैंक एवं 04 यार्न बैंक संचालित है तथा उत्पादित मलबरी/टसर ककून शासन द्वारा निर्धारित दर पर अधीन ककून बैंक द्वारा क्रय किया जाता है।

1 कृषकों द्वारा उत्पादित ककून शासन द्वारा निर्धारित दर पर ककून बैंक/समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की सुविधा उपलब्ध है। शासन द्वारा इस वर्ष पालित प्रजाति के टसर कृमिपालकों द्वारा उत्पादित टसर ककून को गुणवत्ता आधारित ककून बैंक के माध्यम से टसर ककून की संशोधित दरें लागू की गई है। डाबा कोसा "ए" ग्रेड साबुत ककून 3000 रू. "बी" ग्रेड 2500 रू. "सी" ग्रेड 1900 रू. "डी" ग्रेड 1300 रू. तथा मोमरा कोसा 500 रू., डाबा पोली "ए" ग्रेड पोली 1300, "बी" ग्रेड पोली रू. 1100, "सी" ग्रेड पोली 900 रू. एवं "डी" ग्रेड पोली 600 रू., डाबा चूहा कटा सभी ग्रेड का रू. 400 प्रति हजार क्रय दर निर्धारित की गई है। ककून बैंक के माध्यम से डाबा कोसा "ए" ग्रेड साबूत ककून 3090 रू., "बी" ग्रेड 2575 रू., "सी" ग्रेड 1957 रू. "डी" ग्रेड 1339 रू. मोमरा कोसा 515 रू., डाबा पोली "ए" ग्रेड पाली 1339 रू. "बी" ग्रेड पोली रू. 1133, "सी" ग्रेड पोली 927 रू. एवं "डी" ग्रेड पोली 618 रू., डाबा चूहा कटा सभी ग्रेड का रू. 412 विक्रय दर निर्धारित की गई है।

2 साल बाहुल्य वन खण्डों में संग्रहित रैली एवं लरिया प्रजाति के कोसाफलों के क्रय हेतु खुला बाजार प्रणाली लागू है। कलेक्टर जगदलपुर की अध्यक्षता में रैली बीज कोसाफल के क्रय हेतु समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु स्थानीय समिति गठित एवं क्रियाशील हैं।

विभाग द्वारा हितग्राहियों से ककून बैंक के माध्यम से उत्पादित मलबरी ककून का मूल्य गुणवत्ता आधारित सफेद मलबरी ककून (बाय x बाय) 168 रू., प्रति कि0ग्रा0 एवं पीला मलबरी ककून (मल्टी x बाय) 144 रू. प्रति कि0ग्रा0 तथा मलबरी बीज ककून 150 रू. प्रति कि0ग्रा0 बीज ककून उत्पादकों हेतु अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है। शहतूत पौधरोपण हेतु सामग्री सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

3 विभागीय रेशम केन्द्रों में उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का रखरखाव स्थानीय महिला हितग्राहियों के माध्यम से परिक्षेत्र का संधारण किया जाता है।

छ.ग. राज्य के जिलों में कोसा धागाकरण की उच्च तकनीक युक्त कोसा वस्त्र निर्माण ताना धागों का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जाता है तो प्रदेश के हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्राप्त होगा तथा कोसा वस्त्र निर्माण से जुड़े बुनकरों को चाईना कोरिया धागे की जगह प्रदेश में निर्मित धागे से ही उच्च गुणवत्ता युक्त वस्त्र का निर्माण कराया जाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसा वस्त्र की मांग की पूति की जा सकती है।

अतः प्रदेश में कोसा वस्त्र निर्माण अंतर्गत निम्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश की अपार संभावना हैः–

1 प्रदेश में उत्पादित टसर कोसे से उपयुक्त ताना धागा निर्माण की पृथक इकाई हेतु ।

2 कोसा वस्त्र निर्माण उपरांत Dying, Printing, Design Development की पृथक इकाई स्थापना हेतु।

3 प्रदेश में कोसा साड़ी के अतिरिक्त Dress Material, Furnishing Material में Product Diversifications की पृथक इकाई स्थापना हेतु।

4 छत्तीसगढ़ में उत्पादित कोसा वस्त्रों के वृहद पैमाने पर म्गचवतज इकाई की स्थापना हेतु।